

का पेश हो

408

अति० जिला कलक्टर

बैरा

13-12-17

अधिवक्ता प्रवीं उपविक्ता अधिवक्ता कृष्णी सं ५  
 उपविक्ता उपजुड अधिवक्तारी लालसोट की रिप्ली पत्रों  
 पत्र डिग्रेड 11-12-17 काय प्राप् हो चुकी है अधिवक्तागण  
 उक्तपत्र की वक्ष पुनी गरी पत्रावली का अलमोकेप  
 किया गया वदम के दौरान अधिवक्ता कृष्णी सं ५  
 द्वारा न्यायालय S D0 लालसोट में विचाराधीन प्रकरण  
 लेखराज बनाम मेघराज की पत्रावली का अन्य सहाय  
 न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं  
 होना व्यक्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय S D0 लालसोट  
 की रिप्ली के संकेतानुसार भी उक्त विचाराधीन प्रकरण  
 का अन्य न्यायालय में हुनगर् हो स्थागंतरण किये जाने  
 में कोई शतराज नहीं है अतः प्रवीं द्वारा उक्तुत प्राचीन  
 पत्र मिसल स्थानांतरण स्वीकार किया जाका उचित समझते  
 हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवीं द्वारा उक्तुत  
 प्राचीन पत्र मिसल स्थानांतरण स्वीकार किया जाकर  
 न्यायालय उपजुड अधिवक्तारी लालसोट में विचाराधीन  
 वाड सं 361/17 एवं प्रापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रमाण 108/17  
 उक्तानी लेखराज बनाम मेघराज से संबंधित पत्रावली  
 का न्यायालय उपजुड अधिवक्तारी नांगल राजावतान में  
 स्थानान्तरित किया जाता है उपजुड अधिवक्तारी लालसोट  
 प्रगत पत्रावली का न्यायालय उपजुड अधिवक्तारी नांगल  
 राजावतान में शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें। उपजुड  
 अधिवक्तारी लालसोट एवं नांगल राजावतान का पालना हेतु  
 तहसीर निर्णय की प्रति सहित भिजवानी जाका पत्रावली  
 फौजल सुमार धरु नम्बर से कर दोषक प्रविष्ट लेख गणना  
 हो भिजव काय डिग्रेड 13-12-2017 को उक्त न्यायालय में  
 हुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर

बैरा

